

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 77]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी 2021—फाल्गुन 4, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021

क्र. एफ-ए-3-41-2020-1-पांच(06).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-31-2020-1-पांच(67), भोपाल, दिनांक 05 दिसम्बर, 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, खंड (i) में, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी कार्यवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय-सीमा, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से नवम्बर, 2020 के 29वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, को उक्त अधिनियम की धारा 171 के तहत् निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्यवाई को पूरा करना या अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, तो ऐसी कार्यवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय-सीमा नवम्बर, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी.”.

2. इस अधिसूचना को सितम्बर, 2020 के 1वें दिन से लागू माना जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021

क्र. एफ-ए-3-41-2020-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-41-2021-1-पांच(06), दिनांक 23 फरवरी, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd February 2021

No. F A 3-41-2020-1-V(06).—In exercise of the powers conferred by Section 168A of Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in this department's notification, No. F A 3-31-2020-1-V-(67), Bhopal, dated 5th December, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, in clause (i), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that where, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority, has been specified in, or prescribed or notified under Section 171 of the said Act, which falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th day of November, 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall be extended up to the 30th day of November, 2020.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of September, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.